

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

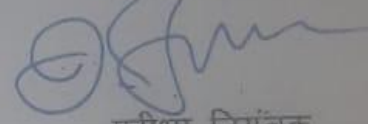
क्रमांक: परीक्षा/सामान्य/2025/511

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर : 452001
दिनांक : 26.08.2025

// सूचना //

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार बुधवार, दिनांक 27.08.2025 को गणेश चतुर्थी पर्व होने से समस्त शासकीय कार्यालयों में एक दिवस का अवकाश घोषित किया गया है। अतः दिनांक 27 अगस्त, 2025 को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पूरक परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है। उक्त पूरक परीक्षा की नवीन तिथि शीघ्र ही घोषित की जावेगी।

आदेशानुसार,



परीक्षा नियंत्रक

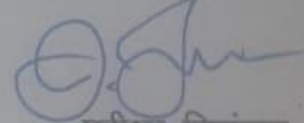
दे.अ.वि.वि., इन्दौर

दिनांक : 26.08.2025

क्रमांक: परीक्षा/सामान्य/2025/511

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, बडवानी, बुरहानपुर एवं आलीराजपुर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2- कुलगुरु के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक } देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
- 3- पूछताछ कक्ष, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4- प्रभारी, नेट, आई.टी.सेन्टर, की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।



परीक्षा नियंत्रक

दे.अ.वि.वि., इन्दौर

E/Shiva/A 17/260825/50

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2025

क्रमांक:एफ 03-06/2024/एक/4: राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 दिसम्बर 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, बुधवार दिनांक 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी, पूर्व घोषित ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर संपूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सुभाष कुमार द्विवेदी)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र.एफ 03-06/2024/एक/4

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि -

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
3. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल।
4. शासन के समस्त विभाग
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर
6. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर
9. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.
10. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.